न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2025/41 दायर दिनांक 28.04.2025

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

मोहम्मद रफीक पुत्र शेर मोहम्मद जाति भड़भुंजा उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 15 तारानगर पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **गैरसायल की ओर से गजेन्द्र खत्री एड.।**

निर्णय दिनांक : 26.09.2025

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल मोहम्मद रफीक पुत्र शेर मोहम्मद जाति भड़भुंजा उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 15 तारानगर पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध जुआ सट्टा करने का आदी है, एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है। जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल मोहम्मद रफीक के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है।

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	72/05.03.2022	13 आरपीजीओ	तारानगर	18.04.2022	पेण्डिगं कोर्ट
2	268/30.08.2023	13 आरपीजीओ	तारानगर	16.09.2023	सजा 16.09.2023
3.	323/12.10.2023	13 आरपीजीओ	तारानगर	01.12.2023	सजा 01.12.2023

इस प्रकार से गैर सायल मोहम्मद रफीक की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां/ कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध कानूनों के विपरीत यह कार्यवाही की है। अधिनियम में की धारा 2 बी के तहत गुण्डा की परिभाषा में गैरसायल नहीं आता है। अधिनियम के अनुसार किसी कार्यवाही के आरम्भ करने से ठीक पहले छह महीने की अवधि के भीतर कम से कम तीन बार अपराध करता हुआ पाया गया हो जबकि गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है जिसमें कार्यवाही पेश करने से ठीक पहले 6 माह में से दो बार दोषी ठहराया गया हो

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

जबकि उक्त कार्यवाही हेतु इस्तगासा 2025 में पेश किया गया है। गैरसायल 02 प्रकरणों में सजा से दण्डित किया गया है जबकि एक प्रकरण अभी लम्बित है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा में वर्णित जुआ/सट्टा खेलने का आदी है तथ्य पूरी तरह से निराधार हैं जो बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के और किसी न्यायिक जजमेन्ट द्वारा समर्थित नहीं है। अगर गैरसायल के विरूद्ध यह कार्यवाही की जाती है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जो किसी भी व्यक्ति को इसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित करने का उपबन्ध करता। अतः गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

बहस इस्तगासा सुनी गई।

गैरसायल विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब इस्तगासा के तथ्यों को दोहराते हुए गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा को खारिज करने का निवेदन किया।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के तहत 02 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासा के अनुसार गैरसायल को 13 आर.पी.जी.ओ के तहत 02 बार चालान पेश कर सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैरसायल अधिवक्ता ने कथन किया कि गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है जिसमें कार्यवाही पेश करने से ठीक पहले 6 माह में दो बार दोषी ठहराया गया हो, चूंकि यह इस्तगासा गैरसायल के विरूद्ध आदतन नहीं होकर 13 आरपीजीओ में 02 बार सजा होने से प्रस्तुत किया गया है जो कि विधिसम्मत् है। गैरसायल ने जवाब में अंकित किया कि उक्त इस्तगासा जुआ/सट्टा खेलने का आदी है किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, चूंकि इस्तगासा के साथ संलग्न प्रथम दृष्ट्या रिपोर्ट की प्रति तथा गैरसायल द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसमें गैरसायल ने जुर्म स्वीकार किया है उससे प्रमाणित होता है कि गैरसायल को उक्त कृत्य की जानकारी रही है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल मोहम्मद रफीक पुत्र शेर मोहम्मद जाति भड़भुंजा उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 15 तारानगर पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 07 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ की देखरेख में 07 दिवस के लिए रहेगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू